संख्या 21012/01/2008-स्था.(भत्ते)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 जून, 2010

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- जोखिम भत्ते का विस्तार ।

जोखिम भत्ता को दिनांक 01-04-2009 से समाप्त कर दिए जाने और कर्मचारी पक्ष से परामर्श करने के पश्चात् जोखिम बीमा योजना द्वारा इसका स्थान ले लेने हेतु सरकार के निर्णय के संदर्भ में, इस विभाग द्वारा दिनांक 12 मार्च, 2009 के का.ज्ञा. सं. 21012/1/008-स्था.(भत्ते) द्वारा, जोखिम भत्ते का घटक लागू करने वाले सभी मंत्रालयों/विभागों को सामान्य अनुदेश जारी किया गया था कि वे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की पैरा 4.2.68 पर दी गई सिफारिशों की भारतीय सामान्य बीमा (सार्वजनिक क्षेत्र) एसोसिएशन (जी.आई.पी.एस.ए.) द्वारा प्रतिपादित सामान्य जोखिम बीमा पैकेज के परिप्रेक्ष्य में जांच पड़ताल करें और संबंधित मंत्रालय/विभाग कर्मचारी पक्ष के साथ परामर्श करके अपने विशिष्ट जोखिम, आवश्यकताओं और अपेक्षाओं पर विचार करें । इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट तथा सरकार का निर्णय इस विभाग के पास दो माह के भीतर भेजा जाना अपेक्षित था । अनुपालन रिपोर्ट शीघ्र भेजे जाने के लिए इस विभाग द्वारा दिनांक 29.10.2009 को एक समसंख्यक अनुस्मारक भी जारी किया गया था । तथापि, इस विभाग को अभी तक कोई अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

2. कतिपय मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त अनुरोध को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से जोखिम भत्ते के भुगतान को 30.09.2010 तक अथवा जोखिम बीमा योजना अंततः लागू हो जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाए जाने का निर्णय किया गया है । सभी मंत्रालयों/विभागों से जाखिम बीमा योजना का कार्यान्वयन 30.09.2010 से पहले सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है । इसके पश्चात् कोई समय-विस्तार नहीं किया जाएगा ।

सिम्मी नाकरा

(सिम्मी आर. नाकरा)

निदेशक

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग ।

संख्या 21012/01/2008-स्था.(भत्ते) नई दिल्ली, दिनांक 16 जून, 2010

1. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का कार्यालय, महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय ।
2. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति का सचिवालय/प्रधान मंत्रि का कार्यालय/योजना आयोग/केन्द्रीय सूचना आयोग के सचिव ।
3. सभी राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र ।
4. सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल ।
5. सचिव, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष), 13-सी, फीरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।
6. जे.सी.एम./विभागीय परिषद की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य ।
7. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग/पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग ।
8. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, ई-।।(बी) शाखा ।
9. राजभाषा स्कन्ध (विधायी विभाग), भगवान दास रोड, नई दिल्ली ।
10. रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली ।
11. एन.आई.सी., कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट www.persmin.nic.in <Allowance पर अपलोड करने के लिए ।
12. 200 अतिरिक्त प्रतियां ।

सिम्मी नाकरा

(सिम्मी आर. नाकरा)
निदेशक